

पत्रांक-श्रम क०सं०-37/2026-११०

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से स्वाभाविक मृत्यु 04 श्रमिकों के उपरांत आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः कुल 04 मृतक/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० दरोगा ठाकुर, 61, बसावन ठाकुर, पिछड़ा वर्ग	सावित्री देवी, (पत्नी) 4509402 39733	565, 21.5.2026 692, 09.06.2026 693, 09.06.2026	ग्रा०+पो०-मनबोध परसौनी, थाना+प्रखण्ड- उचकागाँव, जिला-गोपालगंज 8409937935	32689 69127	CBI, CBIN02 81526	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, नाई का कार्य
2	स्व० संतोष कुमार राम, 29, श्री छटु राम, अनु० जाति	श्री छटु राम, (पिता) 6722620 57428	574 21.05.2026 693, 09.06.2026	ग्रा०-बनकटिया, पो०-राजापुर, था०-कटेया, प्र०-पंचदेवरी, जिला-गोपालगंज, 9816523583	380165 2933	CBI, CBIN02 83484	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री को हेल्पर
3	स्व० रामअशिष मुसहर, 63, मुनेश्वर मुसहर, अनुसूचित जाति	रूखिया देवी, (पत्नी) 9313065 98980	690, 08. 06.2026	ग्रा०-बलिवन रायमल, पो०-बलिवन सागर, थाना+प्रखण्ड- कुचायकोट, जिला-गोपालगंज 7321934758	36020 20295 1	SBI, SBIN00 06024	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
4	स्व० चुनीलाल बैठा, 53, सुदामा बैठा, अनुसूचित जाति	सामालाव ती देवी, (पत्नी) 7158657 55752	691, 08. 06.2026	ग्रा०+पो०-कुचायकोट, थाना+प्रखण्ड- कुचायकोट, जिला-गोपालगंज 8207632969	00163 34001 00103 4	Central Co-operative Bank, IBKL01 011GC	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य

कुल :- रु० 2,00,000/-
(दो लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र

कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०- 37/2026-११० पटना, दिनांक :- 11.11./११.11./2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) मात्र** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, सारण/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।